



# ज्ञान तत्त्व

SEPTEMBER 2026

अंक - 13

सत्यता एवं निष्पक्षता का निर्भीक पाक्षिक

पर्सनल ला क्या  
क्यों और कैसे?

3

501



प्रकाशन की तिथि - 16 -10 -2026

पोस्ट की तिथि - 31-10-2026

# सिंहावलोकन

05 नई समाज व्यवस्था

13 सरकारी स्कूलों की गिरती लोकप्रियता

07 मुनि जी की विविध विषयों पर लेख

17 एक ऐसा चर्चा कार्यक्रम, जिसने मेरे जीवन को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई ज्ञानेन्द्र आर्य

## पत्र व्यवहार का पता

बजरंग लाल अग्रवाल पोस्ट बाक्स 15, रायपुर (छ.ग.) 492021

website : margdarshak.info

प्रकाशक, संपादक व स्वामी - बजरंगलाल  
9617079344

mail : Support@margdarshak.info

मुख्य कार्यालय-  
ज्ञानयज्ञ परिवार आश्रम  
रामानुजगंज छत्तीसगढ़ 497220  
8318621282, 9630766001

लोक स्वराज अभियान  
303 कृष्णा शिप्रा अजूरा अपार्टमेंट कौशांबी  
गाजियाबाद 201012  
9325683604, 9012432074

## प्रधान संपादक

बजरंग लाल अग्रवाल  
(बजरंग मुनि)

## संपादक मण्डल

नरेन्द्र सिंह-9012432074  
संजय तिवारी-7753934242  
विपुल आदर्श-8425997210

## सहयोगी संपादक

ज्ञानेन्द्र आर्य-8318621282

## सदस्यता नियमन

संजय गुप्ता 872669477  
कुशल दुबे 7999934238

## सज्जा

लाल बाबू रवि-7000475949

## वितरण एवं मुद्रण सहयोग

रबीन्द्र विश्वास-9630766001

## पर्सनल ला क्या क्यों और कैसे?

बजरंग मुनि  
प्रधान संपादक

कुछ वर्ष पूर्व तक पूरे भारत में पर्सनल ला की बहुत चर्चा होती रही है। मुस्लिम पर्सनल ला के नाम पर तो पूरे देश में एक बहस ही छिड़ी ही हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की एक बड़ी बेंच इस मुद्दे पर विचार कर रही थी कि पर्सनल ला और मुस्लिम पर्सनल ला क्या है। पूरे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा निर्धारित किये जाने की भी चर्चा आम तौर पर चलती रहती है। कुछ लोग तो सम्पत्ति की अधिकतम सीमा की भी बात करते दिखते हैं इसलिये उचित होगा कि हम इस विषय पर अपना विचार मंथन करें।

पर्सनल ला व्यक्ति का व्यक्तिगत कानून होता है, जिसे व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत सीमा में स्वतंत्रता पूर्वक बना भी सकता है बदल भी सकता है तथा कार्यान्वित भी कर सकता है। कोई सरकार या समाज व्यक्तिगत कानूनों में न कोई दखल दे सकते हैं न ही कोई सीमा बना सकते हैं। किन्तु यह भी स्पष्ट है कि पर्सनल ला सिर्फ अकेले व्यक्ति का ही हो सकता है और यदि किसी व्यक्ति के किसी कार्य का संबंध किसी अन्य व्यक्ति के जुड़ जाता है तब वह सामाजिक या संवैधानिक स्वरूप ग्रहण कर लेता है, पर्सनल ला नहीं रहता। इस तरह मुस्लिम पर्सनल ला किसी भी रूप में पर्सनल ला के दायरे में नहीं आता बल्कि सामाजिक कानूनों के दायरे में आता है। यदि हम पर्सनल ला को समझें तो इसकी कोई सीमा नहीं बन सकती। यह पाताल से लेकर ब्रम्हांड तक जा सकता है। विवाह, खान पान, तलाक, धर्म का पालन, आत्म हत्या सरीखे सभी कार्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। समाज इन संबंधों को सबकी सहमति से अनुशासित कर सकता है किन्तु सरकार किसी प्रकार का कोई कानून नहीं बना सकती। मुस्लिम पर्सनल ला भी एक ऐसा ही मामला है जिसमें सरकार को किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप तब तक नहीं करना चाहिये जब तक वह आपसी सहमति के आधार पर बना है। मुसलमानों में विवाह एक आंतरिक समझौता है, जो कुछ शर्तों के आधार पर होता है। ये शर्तें उचित हैं या अनुचित इसकी समीक्षा सरकार या कोई कानून तब तक नहीं कर सकता जब तक दोनों के बीच सहमति है। इस प्रकार विवाह संबंधी समझौता किसी भी समय समान रूप से तोड़ा जा सकता है, और समझौता टूटने की प्रकृया शुरू होते ही दोनों व्यक्तियों के व्यक्तिगत कानून अस्तित्व में आ जाते हैं। इस प्रकृया में प्रमुख विचारणीय प्रश्न यह है कि समझौता टूटने के बाद उस समझौते की सामाजिक या कानूनी समीक्षा हो सकती है या नहीं। मैं स्पष्ट हूँ कि आप किसी के साथ कोई भी समझौता कर लें। वह टूटने के पूर्व तक कायम है और टूटने के बाद उसकी सामाजिक या कानूनी समीक्षा हो सकती है। कल्पना करिये की आपने

समझौता करते समय दोनों की सहमति से कोई ऐसी शर्त डाल दी, लिख दी, जो उचित नहीं थी तो समझौता टूटने के बाद उस शर्त के औचित्य पर विचार किया जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भले ही उस समझौते में लिखा हुआ हो या वह भले ही मुसलमानों की धार्मिक मान्यता हो कि महिलाएं समझौता नहीं तोड़ सकती किन्तु कोर्ट भी समझौता और धार्मिक मान्यता व्यक्ति के पर्सनल ला के अधिकार में कभी कोई कटौती नहीं कर सकते कल्पना करिये कि एक महिला किसी पति के साथ नहीं रहना चाहती तो उसे जबरजस्ती रोक कर रखना अपराध है या नहीं? भले ही वह अपनी पत्नी हो भले ही आपका उसके साथ कोर्ट समझौता हो। किन्तु किसी भी समझौते के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बल पूर्वक बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता, जब तक उसने कोई अपराध न किया हो। स्पष्ट है कि समझौता तोड़ने की स्वतंत्रता दोनों पक्षों को समान रूप से है। यदि उस समझौते में कोई एक पक्षीय बात लिखी है तो उसकी समीक्षा समाज भी कर सकता है और राज्य भी कर सकता है क्योंकि कोई भी समझौता किसी की सहमति से भी मौलिक अधिकारों के विपरीत कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। कल्पना करिये की मैंने किसी व्यक्ति को एक हजार रूपया उधार देकर एक महीने तक नौकरी करने का समझौता कर लिया और उस व्यक्ति ने एक सप्ताह के बाद समझौता तोड़ दिया। समझौते में लिखा हुआ है कि एक महीने के अंदर तोड़ने वाले से जबरदस्ती काम लिया जा सकता है। मेरे विचार से समझौता टूटते ही वह व्यक्ति स्वतंत्र हो जायेगा, और आप उसको आर्थिक भरपाई की मांग कर सकते हैं। बल पूर्वक काम नहीं ले सकते क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आंतरिक मामलों में मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कल्पना करिये कि किसी व्यक्ति ने एक हजार रूपया उधार लेकर समझौता किया कि यदि वह दूसरे दिन वापस नहीं करेगा तो प्रतिदिन सौ या दो सौ रूपये का दंड देगा। रूपया वापस न करने पर वह प्रतिदिन दंड दे सकता है। किन्तु यदि वह दंड न दे तो उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि कानून समीक्षा करेगा तो उचित दंड ही मान्य होगा, समझौते का दंड नहीं।

आज भारत के मुसलमान पर्सनल ला की बहुत चिंता कर रहे हैं किन्तु वे भूल गये कि इसकी नींव तो उसी दिन रख दी गई थी जिस दिन भारत में हिन्दू कोड बिल बना था। अर्थात् विवाह, तलाक, खान पान, वेश भुषा, जैसे व्यक्तिगत मामलों में सरकार भी कोई कानून बना सकती है तथा न्यायालय भी दखल दे सकता है। अंधेर नगरी चौपट राजा के समान उस समय हिन्दुओं पर लगाये जा रहे अन्याय पूर्ण प्रतिबंधों की मुसलमानों ने परवाह नहीं की तो



अब यदि उसी आधार पर भारत सरकार मुसलमानों के बहु विवाह पर प्रतिबंध लगा दे तो मुसलमान कैसे आवाज उठा सकते हैं। क्योंकि पर्सनल ला प्रत्येक व्यक्ति के समान होते हैं उसमें हिन्दू मुसलमान का भेद नहीं होता है। उस समय तो भारत के मुसलमानों को आनंद आ रहा था कि उन्हें चार विवाह की छूट देकर हिन्दुओं को एक विवाह पर प्रतिबंधित किया जा रहा है तथा वे इस तरह अपनी आबादी बढ़ा लेंगे। सत्तर वर्षों तक मुसलमानों ने संगठित वोट के आधार पर भारत के बहुसंख्यक हिन्दुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर रखा। सत्तर वर्षों तक अगर अंधेर नगरी में आपने माल मलाई खाई है और अब फांसी पर चढ़ने की बारी है तब चिल्लाने से क्या होगा।

एक बात और विचारणीय है कि किन्हीं धार्मिकग्रंथों के माध्यम से ईश्वर या खुदा ने आपको जो कार्य करने का निर्देश दिया है, उन कार्यों को सरकार या कोई अन्य धार्मिक मान्यता मान सकता है। किन्तु जिन कार्यों को आपके धर्म ग्रंथों ने निरूत्साहित करने की सलाह दी है तथा जिनकी अधिकतम सीमा निर्धारित की है, उन कार्यों को राज्य और समाज यदि प्रतिबंधित करे तो वह आपका धार्मिक अधिकार नहीं हो सकता बल्कि वह प्रतिबंध ही धार्मिक कार्य माना जाना चाहिये। आप रोजा, नमाज, हज जकात, कलमा को अपने धार्मिक अधिकार कह सकते हैं। किन्तु तलाक बहु विवाह, मांसाहार आदि आपके धार्मिक अधिकार नहीं हो सकते। कोई भी कानून आपको चार से अधिक विवाह करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता। न ही आपको तलाक देने के लिये बाध्य कर सकता है। किन्तु कोई भी कानून आपको एक से अधिक विवाह करने से रोक सकता है क्योंकि आपको धर्म में चार तक विवाह करने की छूट दी है न की चार विवाह करने का आदेश दिया है। भारत के मुसलमान तीन तलाक चार विवाह या मांस भक्षण के मामले में यदि पर्सनल ला का सहारा लेते हैं तो वह धार्मिक दृष्टि से पूरी तरह गलत है। इस संबंध में जो नए कानून बने हैं वे तर्क संगत हैं किन्तु सरकार और न्यायालय को यह भी अधिकार नहीं कि वह किसी व्यक्ति को संबंध विच्छेद करने से रोक सके। तीन तलाक तो उनका आंतरिक या सामाजिक मामला है। पर्सनल ला की नजर में तो एक तलाक ही काफी है। यदि किसी भी एक पक्ष ने समझौता तोड़ने की घोषणा कर दी तो वह समझौता किसी भी तरह कायम नहीं रह सकता। भले ही उस समझौते के आधार पर दोनों पक्षों के बीच किसी भी प्रकार का न्याय संगत निपटारा हो जाये किन्तु किसी भी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना कभी भी रोक कर नहीं रखा जा सकता। जिस समय हिन्दुओं के पति पत्नी के बीच संबंध विच्छेद में कानूनी हस्तक्षेप करने का प्रावधान बना वह भी पूरी तरह गलत था और वर्तमान में जो बन रहा है यह भी पूरी तरह गलत है। धर्म और समाज व्यक्ति को अनुशासित कर सकते हैं और ये सारे नियम सामाजिक अनुशासन के अंतर्गत ही

आते हैं, शासन के अंतर्गत नहीं। न तो सरकार, विवाह, दहेज, छुआछूत, तलाक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्पत्ति की सीमा जैसा कोई कानून बना सकती है न ही उसे बनाना चाहिये। ऐसे सारे कानून व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक अधिकारों के उलंघन के अंतर्गत आते हैं। यह अलग बात है कि स्वतंत्रता के पूर्व से ही इस प्रकार का उलंघन विदेशी सरकारें करती रही और हमारे संविधान निर्माता भी उन विदेशियों की नकल करते रहे। ऐसी नकल आज तक जारी है, और मैं समझता हूँ कि न्यायालय अथवा सरकार इस संबंध में जो भी कदम उठाती है वह व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों के उलंघन के रूप में ही होता दिखता है। क्योंकि ये लोग मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता का सही अर्थ समझते ही नहीं हैं।

समान नागरिक संहिता का अर्थ वैसा नहीं है जैसा संघ ने प्रचारित किया है। समान नागरिक संहिता का अर्थ मुसलमानों की स्वतंत्रता में बंधन लगाना नहीं है बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता देना है हम इस पक्ष में नहीं हैं की मुसलमानों के चार विवाहों पर रोक लगा दी जाए। हम तो इस पक्ष में हैं की विवाह प्रत्येक व्यक्ति का आंतरिक मामला है। वह चाहे आपसी सहमति से एक करे या दस। हम समान नागरिक संहिता नहीं बल्कि नागरिक संहिता को समान करना चाहते हैं। यद्यपि वर्तमान समय में ऐसे बदलाव की कोई संभावना नहीं दिखती है।

अब तो भारत के मुसलमानों के समक्ष एक ही मार्ग दिखता है कि वे भारत में समान नागरिक संहिता के पक्ष में जोर शोर से आवाज उठावे। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार होगा तथा कोई अल्प संख्यक बहु संख्यक नहीं होगा। सरकार किसी भी व्यक्ति के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं मानने की पूरी स्वतंत्रता तब तक होगी जब तक वह किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा पैदा न करे। यदि भारत के मुसलमानों ने यह बात नहीं मानी तो यह भी संभव है कि भारत हिन्दू राष्ट्र की तरफ तेजी से बढ़ना शुरू कर दे। मैं मानता हूँ कि यह कदम न हिन्दुओं के लिये अच्छा है न मुसलमानों के लिये। फिर भी यदि घर जले तो जले किन्तु चुहों से पिंड छूट जाये के आधार पर हिन्दू बढ़े तो इसका दोष सिर्फ हिन्दुओं को नहीं दिया जा सकता।

# नई समाज व्यवस्था

## 1 समाज सर्वोपरि: नई समाज व्यवस्था की परिकल्पना

हम जिस तरह की समाज व्यवस्था का सपना देख रहे हैं, उसके सबसे ऊपर होगा समाज और सबसे नीचे होगा व्यक्ति। व्यवस्था की सबसे पहली इकाई होगी परिवार और अंतिम इकाई होगी राष्ट्र। अभी अंतिम इकाई विश्व को नहीं मान सकते, क्योंकि अभी विश्व का ऐसा कोई ढाँचा दिख नहीं रहा है। परिवार व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, राष्ट्र व्यवस्था सबको आधार बनाया जाएगा, लेकिन इन सब व्यवस्थाओं में आई कमजोरी को भी दूर किया जाएगा। हम परिवार व्यवस्था में यह सुधार करेंगे कि परिवार में सबका संयुक्त अधिकार हो, व्यक्तिगत नहीं। परिवार के सभी सदस्य मिलकर सर्वसम्मति से परिवार चलाएँ। परिवार एक संगठन हो, प्राकृतिक इकाई नहीं। हम वर्ण व्यवस्था में यह सुधार करेंगे कि वर्ण जन्म के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर हों। हम जाति व्यवस्था में यह बदलाव करेंगे कि जातियाँ कर्म के आधार पर हों, जन्म के आधार पर नहीं। हम राष्ट्रीय व्यवस्था में यह सुधार करेंगे कि राष्ट्र व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था से ऊपर होगी। राज्य या तंत्र राष्ट्र का मैनेजर होगा, संरक्षक नहीं। हम संरक्षक और रक्षक को अलग-अलग करेंगे। हम राज्य को रक्षक तक सीमित कर देंगे, संरक्षक की भूमिका से निकाल देंगे। इस तरह व्यक्ति का संरक्षक समाज होगा, जिसे हम राष्ट्र कह रहे हैं। हम इस तरह अपनी व्यवस्था में आमूलचूल सुधार करेंगे। हम प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की गारंटी देंगे कि समाज आपका संरक्षक है।

## 2 लोक स्वराज और परिवार आधारित 2 लोक स्वराज और परिवार आधारित

नई समाज व्यवस्था **व्यवस्था** हम लोगों ने पाँच महत्वपूर्ण बदलाव की योजना प्रस्तुत की है। इस योजना के अनुसार पहली है लोक स्वराज। लोक स्वराज के अंतर्गत सारी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था परिवारों से शुरू होगी और बढ़ाते-बढ़ाते बहुत थोड़ी-सी सरकार के पास अथवा समाज के पास रहेगी। समाज और सरकार दोनों ही परिवार के किसी भी आंतरिक मामले में किसी तरह का नियम-कानून नहीं बना सकेंगे। हमारी दूसरी सलाह है अपराध नियंत्रण की गारंटी। हम प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी देंगे। न्याय तत्काल और प्रभावी होगा। लोगों के अंदर न्याय पर विश्वास और कानून का अपराधियों को भय होगा। हम प्रत्येक व्यक्ति को गारंटी देंगे, यदि कोई अपराध होगा तो उसका मुआवजा उस व्यक्ति को दिया जाएगा। तीसरा हमारा सोच है आर्थिक असमानता में कमी और चौथा है श्रम सम्मान। इन दोनों के लिए हम कृत्रिम ऊर्जा

की भारी मूल्य वृद्धि करेंगे। इससे पर्यावरण भी सुधरेगा, श्रम का मूल्य भी बढ़ेगा, आर्थिक विषमता भी कम हो जाएगी। सब प्रकार की आर्थिक समस्याएँ इस प्रावधान में सुलझ जाएँगी। हम तत्काल इस कार्य को शुरू करेंगे। यदि सरकार नहीं शुरू करेगी तो हम ग्राम सभा से शुरू करेंगे, हम परिवार से शुरू करेंगे, लेकिन हम ऐसी व्यवस्था बनाएँगे कि श्रम का सम्मान बढ़े और कृत्रिम ऊर्जा का उपयोग घटे। पाँचवाँ काम हम करेंगे समान नागरिक संहिता। भारत के प्रत्येक नागरिक के मूल अधिकार सबके समान होंगे। किसी भी व्यक्ति में कोई भेद नहीं किया जाएगा। वर्ग विद्वेष, वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि संगठनों को किसी भी प्रकार की सरकारी मान्यता नहीं दी जाएगी, संस्थाओं को मान्यता दी जाएगी। हम संगठनों को निरुत्साहित करेंगे, संस्थाओं को प्रोत्साहित करेंगे। महिला-पुरुष, युवा-वृद्ध, गरीब-अमीर, आदिवासी-गैर-आदिवासी, हिंदू-मुसलमान, सारे भेदभाव समाप्त करके व्यक्ति को एक इकाई मानेंगे। इस तरह नई व्यवस्था में हम जो पाँच सूत्री प्रावधान करने जा रहे हैं, इससे हमें विश्वास है कि वर्तमान समस्याओं का आमूलचूल समाधान हो सकेगा।

## 3 परिवार की जिम्मेदारी और अपराधमुक्त समाज

मैंने कल लोक स्वराज की विस्तृत व्याख्या की थी। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हम एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था बना रहे हैं, जिसमें अपराध नियंत्रण की गारंटी होगी। वर्तमान में अपराध नियंत्रण लगभग असंभव हो गया है। ना न्यायालय अपराध रोक पा रहा है, ना पुलिस रोक पा रही है। समाज तो बेचारा कुछ कर ही नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति में हम अपराध रोकने की गारंटी दे रहे हैं। इसके कई माध्यम हैं। पहली बात यह है कि हम अपराधों की वर्तमान परिभाषा को बदल देने के पक्षधर हैं। हमारा यह मानना है कि वर्तमान समय में वास्तविक अपराधियों की संख्या लगभग आबादी के दो प्रतिशत के आसपास ही है, लेकिन गलत परिभाषाओं के कारण अपराधों की संख्या बढ़ रही है। हम इसे बदल देंगे। हम दूसरा बदलाव करेंगे, त्वरित और प्रभावकारी निर्णय अर्थात् न्यायालय अधिक से अधिक 6 महीने में फैसला कर देगा। 6 महीने में अंतिम निर्णय हो जाएगा और फैसला इस प्रकार का होगा, उससे अपराधियों में डर पैदा हो। जरूरत पड़ेगी तो खुलेआम चौक पर फाँसी दी जा सकती है और यदि उससे भी डर नहीं होगा तो किसी को भीड़ के अंदर टुकड़े-टुकड़े भी किया जा सकता है, लेकिन दंड प्रभावकारी जरूर होगा। हम तीसरा बदलाव यह करेंगे कि

आपातकालीन जिलों में, जहाँ अपराधी समाज में भय पैदा कर देते हैं, लोग गवाही नहीं देते, रिपोर्ट नहीं करते, ऐसे कुछ जिलों का चुनाव करके वहाँ गुप्त मुकदमा प्रणाली लागू करेंगे, लेकिन हम किसी भी परिस्थिति में कोई भी अपराध होने नहीं देंगे। यहाँ तक कि यदि कोई अपराध होता है तो हम उस अपराध से पीड़ित व्यक्ति को पर्याप्त मुआवजा भी देंगे। इस तरह हम अपराध मुक्त समाज की गारंटी देने जा रहे हैं। चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, मिलावट, जालसाजी, धोखाधड़ी, मारपीट, लड़ाई-झगड़ा, हिंसा— इस प्रकार के अपराधों को हम अपनी असफलता मानते हैं। हम अपराध नियंत्रण में परिवार व्यवस्था को भी शामिल करेंगे। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर पारिवारिक कर्म से अपराधी की मदद करता है, उस परिवार को भी उसके लिए दंडित किया जाएगा। इस तरह हम गारंटी देंगे कि नई व्यवस्था में अपराध लगभग रुक जाएँगे।

#### **4 श्रम के साथ न्याय और सम्मान की आवश्यकता**

हम लोगों ने दो दिनों में लोक स्वराज और अपराध नियंत्रण की गारंटी की योजना प्रस्तुत की थी। आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि श्रम के साथ न्याय अवश्य ही होना चाहिए। समाज में दो तरह के लोग होते हैं, श्रमजीवी और बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवियों ने ही हमेशा श्रम को सम्मान भी दिया है और श्रम शोषण की योजनाएँ भी बनाई हैं। वर्तमान दुनिया में बुद्धिजीवी श्रम शोषण की योजनाओं में अधिक सक्रिय हैं। श्रम का महत्त्व नहीं समझ रहे। श्रम सम्मान नहीं देना चाहते। हम इस तरह की व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि जिससे स्वाभाविक रूप से श्रम के साथ न्याय हो। इसके लिए सिर्फ एक तरीका है और वह है कि डीजल, पेट्रोल, बिजली, केरोसिन, कोयला और गैस जैसी कृत्रिम ऊर्जा को बहुत महँगा कर दिया जाए। इससे श्रम भिखारी नहीं रहेगा। श्रम पूँजीपतियों और बुद्धिजीवियों का मुखापेक्षी नहीं रहेगा, बल्कि श्रम आत्मनिर्भर हो जाएगा। श्रम का मूल्य बढ़ जाएगा, श्रम की माँग बढ़ जाएगी, श्रम का सम्मान बढ़ जाएगा, बुद्धि और श्रम के बीच बढ़ती हुई दूरी कम हो जाएगी और इसका पूरी तरह प्राकृतिक इलाज हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि यह कार्य सारी दुनिया से ही शुरू होना चाहिए, लेकिन हम भारत के लोग इस संबंध में आवाज उठा सकते हैं कि कृत्रिम ऊर्जा को बहुत महँगा कर देना चाहिए। कृत्रिम ऊर्जा को महँगा कर देने से सिर्फ श्रम का ही मामला नहीं निपटेगा, बल्कि समाज में फैली हुई सारी आर्थिक समस्याएँ इससे सुलझेंगी। पर्यावरण सुलझेगा, मानव की सोच में बदलाव आएगा, गरीब और अमीर के बीच दूरी कम हो जाएगी। इसलिए मेरी अर्थनीति पर सिर्फ एक सुझाव है।

#### **5 महिला सशक्तिकरण बनाम परिवार सशक्तिकरण**

महिला सशक्तिकरण का विचार भारत का नहीं है। यह बीमारी कुछ पश्चिम से आई है और कुछ साम्यवाद से आई है। भारत परिवार सशक्तिकरण का पक्षधर रहा है, लेकिन इस गंदे प्रचार का लाभ भारत में दो प्रतिशत आधुनिक महिलाओं ने ही ज्यादा उठाया है। इन महिलाओं में यदि अलग-अलग सर्वे किया जाए तो यह ना परिवार चला सकती हैं, ना समाज की चिंता करती हैं, ना इनका व्यक्तिगत आचरण ठीक होता है, लेकिन यह दो प्रतिशत महिलाएँ पूरे महिला समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं और यह हमेशा सामाजिक या कानूनी सभी नियमों को तोड़ना चाहती हैं। परिणाम बहुत भयंकर हो रहा है। अभी मध्य प्रदेश में एक परिवार की घटना सामने आई है। एक 17 वर्ष की लड़की बहुत रात को घर पहुँचती है। माता-पिता उससे प्रश्न करते हैं कि वह प्रतिदिन इतनी रात को घर क्यों आती है, तो वह माता-पिता से झगड़ा कर लेती है। वह लड़की रात को 3:00 बजे उठकर अपने दादा के पास चली जाती है और दादा को जगा कर उनकी हत्या कर देती है और उन पर एक झूठा आरोप लगा देती है कि दादा ने बचपन में उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। इसी तरह अभी नाना पाटेकर जैसे एक अच्छे व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक महिला ने उनके ऊपर यह आरोप लगा दिया कि नाना पाटेकर ने कभी पहले उनके साथ यौन शोषण किया था। उस महिला ने इसके पहले भी कई बार नाना को ब्लैकमेल करने का प्रयास किया, क्योंकि नाना ने उसको अनैतिक तरीके से आगे बढ़ाने में मदद करने से इनकार कर दिया था। नाना की मृत्यु के बाद भी उसने अपना ब्लैकमेलिंग का धंधा बंद नहीं किया है, क्योंकि वह जानती है कि वह महिला है, वह आधुनिक है, उसके झूठ को समाज सच मान लेगा और उसे ब्लैकमेल करने का पूरा अधिकार है। अब इस तरह की महिलाएँ अपने को अकेली नहीं समझ रही हैं। उनके साथ कई राजनेता हैं और कई संवैधानिक संस्थाएँ भी खड़ी हैं। अब समय आ गया है कि 98% परंपरागत परिवारों की महिलाएँ सामने आकर इन दो प्रतिशत पतित महिलाओं के सामने खुलकर खड़ी होकर आवाज मजबूत करें।

#### **6 सहमति आधारित व्यवस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता**

अपनी चार सूत्री संविधान योजना के अंतर्गत मैंने आपको लोक स्वराज, अपराध नियंत्रण की गारंटी और श्रम सम्मान पर तीन दिनों में चर्चा कर ली है। अब मैं अंतिम विषय समान नागरिक संहिता पर अपनी योजना बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया में व्यक्ति एक इकाई बने। प्रत्येक व्यक्ति को समान स्वतंत्रता हो। उसकी सहमति के बिना राज्य या समाज उस पर कोई नियंत्रण न लगा सके, जब तक सब लोग मिलकर किसी व्यवस्था का निर्माण नहीं कर लेते। इस तरह जाति, धर्म के आधार पर

या गरीब-अमीर के आधार पर बिना सहमति के कोई व्यवस्था किसी व्यक्ति पर लागू करना गलत है। भारत में समान नागरिक संहिता तत्काल लागू होनी चाहिए। जितने भी कानून धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग अथवा किसी अन्य आधार पर बने हुए हैं, सभी कानूनों को तुरंत समाप्त होना चाहिए। समाज में ना कोई आदिवासी है, ना दलित है, ना महिला है, ना पुरुष है। सभी व्यक्ति हैं और सबकी स्वतंत्रता समान है। मैं इन भेदभावकारी कानूनों का पुरजोर विरोध करता हूँ और मैं प्रस्ताव देता हूँ कि नई समाज व्यवस्था के

अंतर्गत पूरी तरह समान नागरिक संहिता लागू होगी। हम इस तरह का प्रावधान संविधान में प्रस्ताव कर रहे हैं, जिसमें व्यक्ति-व्यक्ति में किसी प्रकार का संवैधानिक आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसका अर्थ स्पष्ट है कि संवैधानिक आधार पर तो भेदभाव नहीं होगा, लेकिन व्यक्तिगत और सामाजिक अधिकार पर प्रत्येक व्यक्ति को भेदभाव करने की स्वतंत्रता होगी। इस तरह नई व्यवस्था में सामाजिक स्तर पर भेदभाव दूर करने वाले कानून भी समाप्त कर दिए जाएंगे।

## मुनि जी के विविध विषयों पर लेख

### 1 सत्ता का विकेंद्रीकरण और खर्च में कमी

हम नई प्रशासनिक व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव करेंगे। एक महत्वपूर्ण बदलाव यह करेंगे कि पूरे देश को 100 प्रदेशों में बाँटा जाएगा। हर प्रदेश में 100 जिले होंगे, हर जिले में 100 गाँव होंगे और हर गाँव की आबादी औसतन 1400 के आसपास रखी जाएगी। इस तरह हम एक प्रदेश की आबादी को लगभग डेढ़ करोड़ के आसपास मानकर चलेंगे। इस व्यवस्था से प्रशासन मजबूत होगा, क्षेत्रवाद, भाषावाद के झगड़े कम हो जाएँगे, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा और खर्चा भी घट जाएगा। जो लोग मानते हैं कि इस व्यवस्था से खर्च बढ़ेगा, वे गलत हैं। अगर हम हर विकासखंड को एक जिला मान लेंगे और हर कमिश्नरी को एक प्रदेश मान लेंगे, तो इससे कोई खर्च बढ़ने वाला नहीं है। खर्च बढ़ने की बात कहना पूरी तरह गलत है। वर्तमान समय में एक जिले का कलेक्टर पाँच गाड़ियाँ रखता है। बाद में जब वह एक ब्लॉक का कलेक्टर बनेगा, तो मोटरसाइकिल से भी काम चला लेगा। उसे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए इस विकेंद्रित सत्ता व्यवस्था पर भी सोचा जाना चाहिए।

### 2 परिवार के अधिकार और सरकार का अनावश्यक हस्तक्षेप

खबर है कि राजस्थान में किसी परिवार को बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन उस परिवार में ही नए बच्चे का जन्म हुआ। परिवार ने ही अस्पताल में नर्स के साथ मिलकर योजना बनाई और उस बच्चे को बेच दिया। दो खरीददार होने के कारण दोनों के बीच में नीलामी हुई और जिसने अधिक पैसा दिया, वह बच्चे को ले गया। बीच-बचाव में नर्स को भी कुछ कमाई हो गई। पुलिस बच्चा बेचने वाले, बच्चा खरीदने वाले और बीच-बचाव करने वालों को सबको गिरफ्तार कर रही है, क्योंकि पुलिस के अनुसार बहुत बड़ा अपराध हो गया है। एक दुसरी घटना हमारे सरगुजा जिले के दरिमा में घटी, जहाँ एक अविवाहित बच्ची ने किसी छोटी बच्ची को जन्म दे दिया। उसने उस

बच्ची को कपड़े में लपेटकर बाहर खुले में छोड़ दिया। सवेरे उस बच्ची को देखा गया और उस बच्ची को अनाथालय में भर्ती कर दिया गया। अब पुलिस उस बच्ची को जन्म देने वाली माँ को खोज रही है। उस माँ को गिरफ्तार किया जाएगा। यदि वह माँ 18 वर्ष से कम की होगी, तो उस बच्ची के पिता को भी खोजा जाएगा। उस माँ और पिता को दंडित किया जाएगा, क्योंकि कानून यही कहता है। अगर कोई अपने बच्चों को सुरक्षित रखकर बेच दे, तो कानून उसे दंडित करता है। कोई अगर अपने बच्चे को बेचने की अपेक्षा सुरक्षित बाहर में छोड़ दे, तो कानून उसे दंडित करता है। पता नहीं, यह कानून बनाने वाले कैसे-कैसे नासमझ या नशे में कानून बनाते थे। मैं नहीं समझता कि इन दोनों कार्यों में किसी प्रकार का अपराध कैसे हो गया। किसी ने बच्चा बेचा, किसी ने खरीदा, इससे सरकार का क्या लेना-देना है? हो सकता है, सरकार का टैक्स नुकसान हुआ हो, तो वह उतने टैक्स की भरपाई कर सकता है। अन्यथा कोई नुकसान नहीं हुआ। किसी ने अपने बच्चे को बाहर छोड़ दिया, इससे किसी का क्या नुकसान हुआ? इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण कानून को हटा लेना चाहिए। कानून बनाने वाले तो इस तरह का कानून बना रहे हैं, जैसे कि वे हर आदमी के मालिक हों और न परिवार का कोई अधिकार है, न समाज का कोई अधिकार है। परिवार और समाज तो सिर्फ अपना कर्तव्य करने के लिए हैं। अधिकारों का ठेका तो इन नासमझ नेताओं ने उठा लिया है।

### 3 मतदाता सूची संशोधन और नागरिकों का विश्वास

मैं यह बात विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि पिछले चुनाव की अपेक्षा ईवीएम के चुनाव अधिक विश्वसनीय हैं। भारत के 100% नागरिक मतपत्रों की अपेक्षा ईवीएम के चुनाव को सही समझते हैं। भले ही स्वार्थवश इनमें से कुछ लोग सामने आकर ईवीएम का विरोध करते हैं, लेकिन वे सब भी अच्छी तरह जानते हैं कि ईवीएम में न कोई गड़बड़ी हुई है और न हो सकती है। इस तरह मतपत्रों की

अपेक्षा ईवीएम का चुनाव विश्वसनीय है। इसी तरह वर्तमान समय में मतदाता सूचियाँ जो बनाई जा रही हैं, इन मतदाता सूचियों में भी 90% भारत के नागरिकों का विश्वास है। विपक्षी दलों में भी अनेक लोग इस प्रक्रिया को सही मानते हैं, भले ही राजनीतिक स्वार्थ और मुस्लिम मतदाताओं की नाराजगी के कारण वे खुलकर इस प्रक्रिया का विरोध करते हों। मैं मानता हूँ कि इस प्रक्रिया में कुछ लाख सही मतदाता छूट गए हैं। उनके नाम अभी भी जोड़े जा सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में करोड़ों ऐसे लोग निकाल दिए गए हैं, जो विदेशी थे और जिन्हें मतदाता सूची में स्वार्थवश शामिल किया गया था। वर्तमान में जो लोग अधिक चिल्ला रहे हैं, उनमें अधिकांश ऐसे लोग हैं, जिन्हें इस संशोधन से नुकसान हुआ है। लेकिन इन चिल्लाने वालों में कुछ ऐसे भी लोग शामिल हैं, जो भविष्य में षड्यंत्र के आरोप में जेल जा सकते हैं, क्योंकि कुछ नेताओं ने और पूर्व चुनाव आयुक्तों ने षड्यंत्रपूर्वक ही ऐसे विदेशी मुसलमानों को भारत के मतदाता के रूप में पंजीकृत किया था और अब निकट भविष्य में वे जेल जा सकते हैं। उनका चिल्लाना स्वाभाविक है। फिर भी मैं इस नई प्रक्रिया को उचित समझता हूँ। साथ ही, जो भी ईवीएम के खिलाफ बोलता है, उसे मैं पेशेवर राजनेता से अतिरिक्त कुछ नहीं मानता।

#### 4 महंगाई के प्रभाव का आकलन और क्रय शक्ति

आमतौर पर महंगाई के प्रभाव का आकलन दो प्रकार का होता है। जब वस्तुएँ महंगी हो जाती हैं और औसत व्यक्ति की क्रय शक्ति नहीं बढ़ती, तब उसे महंगाई का बुरा प्रभाव कहते हैं, लेकिन यदि आम लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है और उस बढ़ी हुई क्रय शक्ति के कारण महंगाई बढ़ती है, तब उस महंगाई को अच्छा माना जाता है। हम स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान समय तक अगर भारत का आकलन करें, तो भारत में क्रय शक्ति की तुलना में वस्तुओं के मूल्य कम बढ़े हैं। यही कारण है कि यात्राएँ बहुत हो रही हैं, सोना-चाँदी, जमीन या अन्य वस्तुओं की खरीदारी अधिक है। क्रय शक्ति बढ़ने के कारण वस्तुएँ महंगी हो रही हैं। यहाँ तक कि वस्तुओं के मूल्य रोकने के लिए विदेश से आयात भी करना पड़ रहा है। फिर भी वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं, क्योंकि श्रम मूल्य बहुत तेजी से बढ़ रहा है और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। मुझे याद है कि सन 1960 में एक व्यक्ति को दिन भर मेहनत करने पर एक से डेढ़ किलो अनाज मिलता था। आज उसे 12 किलो अनाज मिलता है। इस तरह लोगों की क्रय शक्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है और क्रय शक्ति बढ़ने का प्रभाव यह है कि वस्तुएँ महंगी हो रही हैं। लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है। लोग पहले की अपेक्षा खुशहाल हो रहे हैं। पुराने जमाने में जिन वस्तुओं को सुविधा की वस्तु माना जाता था, वे आवश्यक वस्तुएँ मानी जाने लगी हैं। विलासिता की वस्तुएँ सुविधा

की वस्तुएँ मानी जा रही हैं और विलासिता की वस्तुओं में नई-नई चीजें प्रवेश कर रही हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि महंगाई का प्रभाव सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं।

#### 5 गांधी हमारे लक्ष्य नहीं, हमारे मार्ग हैं

गांधी ने कोई नया मार्ग खोजकर नहीं निकाला था, बल्कि हमारे पुराने धर्मग्रंथों में सत्य और अहिंसा को जो महत्व दिया गया था, उसी को गांधी ने अपना मार्ग बनाया। स्पष्ट है कि गांधी ने पुराने अनेक मार्गों में से सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना। अब हम गांधी की नकल करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि सत्य और अहिंसा के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों का समाधान खोजने को ही हम गांधी मार्ग मान रहे हैं। वर्तमान समय में जो लोग खादी, चरखा या अन्य मुद्दों पर गांधी की नकल कर रहे हैं, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम उस प्रकार की नकल करने के पक्षधर नहीं हैं। गांधी ने उस समय की परिस्थितियों में चरखा और खादी को महत्व दिया था। आज की समस्याओं के आधार पर नए समाधान खोजने होंगे। बात साफ है कि हम सत्य और अहिंसा के नेतृत्व में गांधी से भी आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। गांधी हमारे लक्ष्य नहीं, गांधी हमारे मार्ग हैं। जो लोग गांधी की संपत्ति और गांधी के नाम का उपयोग करते हैं, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम गांधी की संपत्ति और गांधी के नाम का उपयोग करना ठीक नहीं समझते। हम वर्तमान परिस्थितियों में गांधी मार्ग से समाधान तलाश रहे हैं। सिद्धांत हमारा रहेगा सत्य और अहिंसा ही। गांधी ने किसी महापुरुष की आँख बंद करके नकल नहीं की थी। हम भी आँख बंद करके गांधी की नकल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें गांधी के नाम और गांधी की संपत्ति से कोई मोह नहीं है।

#### 6 इजरायल की घटना और भारत के लिए उसके संदेश

कल की इजरायल की घटना सैकड़ों वर्षों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाएगी, जब उस जहाज में मरने वाले अधिकांश यहूदी थे, मारने वाला मुसलमान था और बचाने वाला हिंदू था। यह विचित्र त्रिकोण देखिए। अगर इसे दूसरे शब्दों में देखा जाए, तो मरने वाले इजरायली थे, मारने वाला ओमानी था और बचाने वाला भारतीय था। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी विपक्ष आज असमंजस में है कि इस घटना को किस तरह स्वीकार करे, क्योंकि विपक्ष के सामने चार संकट आ गए हैं। पहला संकट है कि विपक्ष इजरायल का विरोधी है। दूसरा संकट है कि विपक्ष ईरान और फिलिस्तीन का समर्थक है। तीसरा संकट है कि इस मामले में भारत के मुसलमान चुप हैं और चौथा संकट है कि बचाने वाला गुजराती है। यदि बचाने वाला गुजराती नहीं होता, तो शायद विपक्ष कुछ सोच

सकता था। इन सब कारणों से विपक्ष अभी असमंजस में पड़ा हुआ है कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन भारत का प्रत्येक नागरिक यह बात अच्छी तरह समझने लगा है कि भारत के मुसलमानों को भी कुछ और अधिक आगे आकर अपनी जीवन पद्धति में बदलाव करना चाहिए। यदि भारत के मुसलमानों ने अपनी जीवन पद्धति में सार्थक बदलाव नहीं किया, तो भारत की जनता मजबूर होकर संविधान में भी संशोधन कर सकती है। अब तक उन्हें जो विशेष अधिकार मिले हुए हैं, वे छीने भी जा सकते हैं। संविधान भगवान ने नहीं बनाया है, भारत की जनता ने बनाया है। इस इजरायल-विमान घटना के बाद भारत में मुसलमानों की कुछ ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में कुछ विशेष सतर्कता की भावना बढ़ने लगी है।

## 7 न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोप और जनविश्वास

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने खुलकर यह बात साफ की है कि न्यायपालिका में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट के भ्रष्टाचार को भी गिनते-गिनते थक गया हूँ। यह बात प्रशांत भूषण और शांति भूषण तो पहले भी कई बार कह चुके हैं और दबे-छुपे आम जनता भी इस बात पर विश्वास करने लगी है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी यह जानता है कि पावर ही भ्रष्टाचार के अवसर देता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अधिक से अधिक पावर अपने पास इकट्ठा करके रखना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि काले कोट में सब प्रकार की प्रकाश किरणें छिपाई जा सकती हैं। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नीचे उतरकर न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी अपनी तानाशाही स्थापित कर ली और अब तो चुनाव आयोग की विभिन्न नियुक्तियों में उसे अपना हिस्सा चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट का बस चले, तो वह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की नियुक्तियों में भी अपना हिस्सा खोजने लग जाएगा, क्योंकि पावर इकट्ठा होगा, तभी भ्रष्टाचार के अवसर पैदा होंगे और डर पैदा होगा, तभी भ्रष्ट लोग अपने को ईमानदार घोषित कर सकेंगे। स्वतंत्रता के बाद पावर में ही कार्यपालिका और विधायिका में भ्रष्टाचार के अवसर पैदा किए थे और 1990 के बाद पावर में ही न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बढ़ना शुरू हुआ है। इसलिए समय आ गया है कि हम पावर को विकेंद्रित करें, न कि सुप्रीम कोर्ट, कार्यपालिका और विधायिका पावर की छीना-झपटी में लगे।

## 8 विधायिका के अधिकारों का विकेंद्रीकरण

हम अंतिम रूप से इस निष्कर्ष तक पहुँच चुके हैं कि लोकतंत्र असफल हो गया है। लोकतंत्र तानाशाही का

विकल्प भी नहीं बन पा रहा है और इसे लोक स्वराज की दिशा में ले जाना आवश्यक है। यही सोचकर हम सब लोग जन-जागरण कर रहे हैं कि हम तंत्र-मुक्त समाज व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। हम अपनी न्यायपालिका से यह उम्मीद करेंगे कि न्यायपालिका सिर्फ 10% मुकदमे अपने पास रखकर 90% मुकदमे सरकार को वापस कर दे, जिससे न्यायालय 6 महीने के अंदर अपना निर्णय निश्चित रूप से दे सके। आपराधिक मुकदमों को छोड़कर बाकी सारे मुकदमे हम वापस करने की उम्मीद करेंगे। इसी तरह हम विधायिका से भी यह उम्मीद करेंगे। विधायिका 90% कानून ग्राम सभाओं या केंद्र सभाओं को वापस करके सिर्फ 10% उतने ही कानून अपने पास रखे, जिनका शत-प्रतिशत सफल प्रयोग वह कर सकती है। बाकी सारे कानून हमारी विधायिका को समाप्त कर देने चाहिए। इससे हमारी कार्यपालिका भी मजबूत हो जाएगी और न्यायपालिका भी मजबूत हो जाएगी। हम पूरे देश में इस बात के लिए जनमत-जागरण करेंगे कि तंत्र को हमारा आदेश मानना ही चाहिए, क्योंकि तंत्र हमारा मैनेजर है और लोक मालिक है। यही सोचकर अब हम इसके लिए लोक में जागृति पैदा करने की शुरुआत कर रहे हैं। इसके लिए इसी अक्टूबर माह में 9, 10 और 11 तारीख को लोक स्वराज नगर, रामानुजगंज में लोक स्वराज दिवस भी मनाने की योजना बनाई जा रही है।

## 9 वोट चोरी के आरोप और सड़कों पर राजनीतिक प्रदर्शन

जिन लोगों ने लंबे समय तक मतपत्र और बूथ कब्जा करके वोट चोरी की, जिन लोगों ने लंबे समय तक विदेशी मुसलमानों के राशन कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता सूची बनवाकर वोट चोरी की, वे सारे लोग पिछले दो दिनों से सड़कों पर उतरकर गंगा नाच कर रहे हैं। तरह-तरह की धमकियाँ दे रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। लोग हँस रहे हैं नेताओं का नंगा नाच देखकर। वास्तव में आम जनता को शर्म आ रही है। यदि नेताओं की धमकियों को इकट्ठा किया जाए, तो भारत का सारा समुद्र भर जाएगा। इतनी गंदी-गंदी धमकियाँ! और आप देखिएगा, नतीजा क्या होता है। मैंने खुद देखा कि जिस तरह अच्छे-अच्छे लोग नाटकबाजी कर रहे थे, सड़क पर लेट जा रहे थे, चोटी से नाखून तक सारा शरीर हिला रहे थे, चिल्ला रहे थे। लगता था जैसे जान निकल जा रही है। इतनी नाटकबाजी और सिर्फ एक मिनट के लिए, जिस समय मीडियावाले फोटो लेने के लिए खड़े होते थे, उस समय ये लोग सड़क पर छटपटाते थे। मैंने देखा और समझा कि राजनीति में कितने नाटक करने पड़ते हैं। इसके पहले तो मैं नाटक करते हुए राहुल गांधी को देखता था, लेकिन कल तो जंतर-मंतर पर नाटक करने वाले कई अच्छे चेहरे सड़क पर लोटते हुए दिख गए। भारत में राजनीति का जो स्तर गिराया जा रहा है, उसे अब आम

जनता समझने लगी है। कल का जंतर-मंतर और मुंबई का नाटक बहुत कुछ बोलता दिखता है। अभी तो यह नाटक दशहरे तक चलने की संभावना है।

## 10 हिंदू और मुस्लिम कट्टरवाद के प्रति दोहरे मापदंड

हम लोग किसी भी प्रकार के धार्मिक कट्टरवाद का विरोध करते हैं, चाहे वह हिंदू कट्टरवाद हो या मुस्लिम कट्टरवाद। कट्टरवाद, कट्टरवाद होता है। यदि कट्टरता हिंसा के साथ जुड़ जाए, तो वह आतंकवाद की दिशा में बढ़ सकती है और समाज के लिए पूरी तरह घातक होती है। फिर भी हम इस बात की सावधानी रखते हैं कि यदि किसी हिंदू पर कट्टरवाद का आरोप लगा है, तो हम उस आरोप के सिद्ध होने तक उसे निर्दोष मानते हैं, लेकिन यदि ऐसा आरोप किसी मुसलमान पर लगता है, तो हम प्रथम दृष्टया ही उस मुसलमान को आतंकी मान लेते हैं, क्योंकि मुसलमान को बचपन से ही उग्रवाद की शिक्षा मिलती है। माता-पिता से ही उसे वे संस्कार मिले हैं। धर्मग्रंथ भी उसे वही संस्कार देते हैं, इसलिए उनके कट्टरवादी होने की संभावना बहुत अधिक होती है। दूसरी ओर, हिंदुओं को बचपन से ही शांतिप्रिय संस्कार मिलते हैं। उन्हें तर्क को महत्व देना सिखाया जाता है, इसलिए उनके कट्टरवादी होने की संभावना कम होती है। यही कारण है कि हम मुसलमानों से कट्टरवाद को हटाने के लिए उनके बचपन के तथा धर्मग्रंथों के संस्कारों से भी दूर करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से ऐसे संस्कार मिलते हैं। साथ ही, हम यह भी प्रयत्न कर रहे हैं कि कहीं हिंदुओं में भी कट्टरवाद की भावना बढ़ती न चली जाए। इसलिए हम हिंदुओं में भी खुलकर कट्टरवाद का विरोध करते हैं। यही कारण है कि हम सावरकरवादियों का विरोध करते हैं, गोडसेवादियों का विरोध करते हैं और हिंसा करने वालों का विरोध करते हैं। लेकिन यदि हमारे हिंदू कट्टरवादी किसी मुस्लिम कट्टरवादी के साथ टकराते हैं, तो हम या तो चुप रहते हैं या अपने हिंदू कट्टरवादी का साथ देते हैं, मुस्लिम कट्टरवादी का नहीं। फिर भी, कुल मिलाकर सैद्धांतिक आधार पर हम कट्टरवाद का विरोध करते हैं।

## 11 छत्तीसगढ़ में अनुसूचियों और ग्राम सभा सशक्तिकरण का प्रभाव

यह बात जगजाहिर है कि संघ परिवार प्रमुख समस्याओं का आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करता है, एलोपैथिक इलाज नहीं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अब आपको छत्तीसगढ़ में दिख सकता है। कांग्रेस सरकार ने बहुत योजना बनाकर हिंदुओं को विभाजित करने के लिए आदिवासी, दलित, पाँचवीं अनुसूची, छठी अनुसूची और पता नहीं क्या-क्या नई-नई अनुसूचियाँ बना दी थीं। इन अनुसूचियों के माध्यम से हिंदू समाज लगातार टूट रहा था।

मुख्य रूप से ईसाई समुदाय इस प्रयत्न में सबसे आगे था, क्योंकि ईसाइयों को यह पता था कि ईसाई आदिवासी ही सक्षम हैं। यही सोचकर ईसाइयों ने आदिवासी इलाकों में ग्रामसभा सशक्तिकरण का भी नारा चलाया था, क्योंकि गाँव को अगर अधिकार मिल जाएगा, तो ईसाई आदिवासी उसमें सक्षम होंगे और यह अधिकार सिर्फ आदिवासी गाँव को ही मिलने की सीमा बनाई गई। लेकिन वाह रे संघ की गुप्त प्रणाली! वही पाँचवीं और छठी अनुसूची, ग्रामसभा और आदिवासी सशक्तिकरण आज ईसाइयों पर उल्टा पड़ रहा है। अब ग्रामसभाएँ ईसाई धर्मगुरुओं का बहिष्कार कर रही हैं। अब ग्रामसभाएँ ईसाइयों को अपने गाँव में कब्रिस्तान बनाने से रोक रही हैं। जो गड्डा हिंदुओं के लिए ईसाइयों की मदद से कांग्रेस पार्टी ने खोदा था, इस गड्डे में अब वे लोग गिर जा रहे हैं। यही है संघ की कार्यप्रणाली और इसके सामने सारे देशद्रोही और हिंदू-विरोधी शक्तियाँ लाचार हैं। अब तो न्यायपालिका भी इस मामले में बहुत सावधानी से निर्णय कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही अनेक तरह की अनुसूचियाँ और नियम संविधान में बनाए थे।

## 12 नरेंद्र मोदी की सफलता और अदृश्य शक्ति का रहस्य

अब तक नरेंद्र मोदी के साथ कौन-सा चमत्कार जुड़ा हुआ है, यह बात सारी दुनिया में किसी को समझ में नहीं आ रही है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुनिया भर का मीडिया लगा हुआ है, सोशल मीडिया भी प्रयत्नशील है, लेकिन हर मामले में नरेंद्र मोदी पूरी तरह सफल होते जा रहे हैं। चाहे वह विदेश नीति हो, अर्थनीति हो अथवा कोई चुनाव हो, सब जगह अप्रत्याशित हो रहा है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़ी हो। आप सोचिए, सारी दुनिया में डीजल-पेट्रोल का हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका और रूस पूरी तरह परेशान हो गए हैं। भारत के सभी पड़ोसी देश यह बात समझ नहीं पा रहे हैं कि वे इस मामले में क्या करें, लेकिन दुनिया में भारत अकेला देश है, जो डीजल-पेट्रोल के मामले में पूरी तरह निश्चित है। अर्थनीति के मामले में जहाँ ट्रंप घोषणा कर रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था असफल हो जाएगी, जहाँ राहुल गांधी दिन-रात प्रयत्न कर रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था रसातल में चली जाए, जहाँ सोरोस और हिंडनबर्ग दिन-रात इसमें लगे हुए थे कि भारत के उद्योगपति अडानी को भिखमंगा बना दिया जाए, लेकिन ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि अडानी सबसे बड़े पूँजीपति बन गए और भारत की अर्थव्यवस्था भी आगे निकल गई? अकल काम नहीं कर रही है कि क्या हुआ। भारत की विदेश नीति को भी चीन और अमेरिका लगातार झटके पर झटका दे रहे थे। विदेश नीति के मामले में भारत का सारा विपक्ष एकजुट होकर

नरेंद्र मोदी को युद्ध करने की सलाह दे रहा था, लेकिन आखिर ऐसा कौन-सा चमत्कार हुआ कि भारत की विदेश नीति की यूक्रेन भी तारीफ कर रहा है, रूस भी तारीफ कर रहा है, ईरान भी तारीफ कर रहा है और अमेरिका भी तारीफ कर रहा है। जहाँ दुनिया भर के आतंकवादी भारत में आतंक फैलाते थे, वहीं अब भारत के आतंकवादी दुनिया में चुपचाप मारे जा रहे हैं। है ना कोई चमत्कार! मैं यह नहीं कह सकता कि चमत्कार नरेंद्र मोदी के भाग्य का है अथवा राहुल गांधी के दुर्भाग्य का है, अथवा भारत में कोई ऐसी गुप्त योजना चल रही है, जो हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन कोई-न-कोई अदृश्य योजना अवश्य सफल हो रही है।

### 13 राहुल गांधी की नीतियों में आमूलचूल बदलाव की आवश्यकता

मैं जानता हूँ कि राहुल गांधी कभी मेरी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन फिर भी मैं राहुल गांधी को यह सलाह देता हूँ कि राहुल गांधी अपनी नीतियों में आमूलचूल बदलाव करें। इसमें दो बातें प्रमुख होनी चाहिए। पहली बात कि राहुल गांधी साम्यवादी मार्ग छोड़कर गांधी मार्ग पर चलना शुरू करें और दूसरी बात कि राहुल गांधी मोहन भागवत के साथ समझौता कर लें। गांधी मार्ग पर चलने के लिए राहुल गांधी को चार बदलाव करने पड़ेंगे। पहली बात कि पाकिस्तान, चीन किसी से युद्ध की बात न करके शांति की बात करनी चाहिए। भारत युद्ध का नहीं, बुद्ध का देश है। दूसरी बात कि वर्ग-विद्वेष नहीं, वर्ग-समन्वय की बात करनी चाहिए। तीसरी बात कि भारत को समान नागरिक संहिता स्वीकार करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का जातीय आरक्षण, महिला आरक्षण अथवा अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, ये सब घातक विचार हैं। चौथी बात कि भारत को लोक स्वराज्य की दिशा में जाना चाहिए। सत्ता का केंद्रीकरण उचित मार्ग नहीं है। यदि राहुल गांधी अब गांधी उपनाम छोड़कर गांधी मार्ग अपना लें और मोहन भागवत को सम्मान देना शुरू कर दें, तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं।

### 14 87 वर्ष की आयु में भी सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता

मेरी उम्र अब 87 वर्ष पूरी हो रही है। मैंने अपने जीवन में कुछ सिद्धांतों का लगातार पालन किया। मैं अपनी सीमाएँ भी समझता हूँ, अपनी योग्यता भी समझता हूँ और क्षमता भी समझता हूँ। मैं कभी अपनी सीमा से आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि मैं अपनी सीमाएँ समझता हूँ। यदि सारी दुनिया में व्यवस्था परिवर्तन करना हो, तो मैं यह समझता हूँ कि मेरी भूमिका उसमें एक मच्छर के समान है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन यदि भारत में व्यवस्था परिवर्तन करना हो, तो मैं अपनी भूमिका उस गिलहरी तक

सीमित मानता हूँ, जो लंका में जाने के लिए पुल बनाते समय अपनी धूल झाड़ देती थी। इससे अधिक मैं अपने को नहीं मानता। मैंने जीवन में कभी भी सरकार के कानून का उल्लंघन नहीं किया, यद्यपि मैं सरकार के किसी कानून का आँख बंद करके पालन भी नहीं करता। मैं गलत कानून से बचता रहा, लेकिन मैंने जीवन भर गलत कानून को बदलने के लिए जन-जागृति में नेतृत्व किया। स्पष्ट है कि मैं जीवन में धरना-प्रदर्शन, हड़ताल, चक्का जाम, इन सब से दूरी बनाए रखी, क्योंकि मैं इन्हें अलोकतांत्रिक कार्य मानता हूँ। फिर भी हमेशा सरकार के गलत कानून का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया। मैं 40 वर्ष पूर्व राजनीति छोड़ चुका हूँ। उसके बाद किसी चुनाव में वोट देने नहीं गया, लेकिन मैंने उसके बाद हर सरकार का समर्थन किया, चाहे वह नरसिंह राव की सरकार हो, अटल जी की सरकार हो, मनमोहन सिंह की सरकार हो अथवा नरेंद्र मोदी की सरकार हो। मैंने मनमोहन सिंह का भी पूरी तरह खुलकर समर्थन किया था और वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार का भी खुलकर समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि गलत सरकार नहीं है, गलत हमारी राजनीतिक-संवैधानिक व्यवस्था है। जब तक इस व्यवस्था को नहीं बदला जाएगा, तब तक सत्ता परिवर्तन से कोई सुधार संभव नहीं है। मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक पूरी तरह संतुष्ट हूँ और यह महसूस करता हूँ कि भविष्य में जल्दी ही मेरी इस योजना का अच्छा परिणाम दिखेगा। हमारा देश व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में निरंतर आगे बढ़ेगा और भविष्य में दुनिया को भी इस संबंध में राह दिखाएगा। यदि इस उम्र में दुनिया को मेरी आवश्यकता होगी, तो मैं मच्छर की जगह माच्छर बनना स्वीकार करूँगा, नेहा बोरा बनना नहीं। माच्छर और नेहा बोरा की प्राथमिकताओं को देखकर मुझे अपने जीवन पर बहुत गर्व होता है।

आज सुबह से मैंने कुछ व्यक्तिगत बातें ही लिखी हैं। इसी क्रम में मैं आपको यह भी बता दूँ कि मैंने बचपन से अब तक पुलिस विभाग का हमेशा समर्थन किया है। मैं इस बात को समझता रहा कि पुलिस की नौकरी सबसे कठिन नौकरी है, जिसमें सारा आत्मसम्मान बेचकर बेचारे लोगों को नौकरी करनी पड़ती है। मैंने हमेशा यह अनुभव किया कि भ्रष्टाचार के मामले में सबसे कमजोर पुलिस विभाग होता है। आप देख लीजिए कि जहाँ भी छापे पड़ते हैं, उनमें पुलिस वालों की तुलना में अन्य विभागों या राजनीतिक नेताओं की भूमिका कितनी अधिक होती है। मुझे याद है कि महाराष्ट्र में एक पुलिस कमिश्नर भ्रष्टाचार में फँसा था और तब यह भी सिद्ध हुआ कि उसके भ्रष्टाचार का लगभग सारा हिस्सा पुलिस मंत्री खा जाता था। मैं यह अनुभव करता हूँ कि बेचारा पुलिस वाला सही करते हुए भी किस तरह न्यायपालिका का एक न्यायाधीश काला कोट पहनकर उसे अपने न्यायालय में अपमानित करता है,

जबकि उस पुलिस वाले के पास भी उतने ही संवैधानिक अधिकार हैं, जितने न्यायाधीश के पास। यही कारण है कि मैं जीवन भर पुलिस विभाग के पक्ष में रहा। मुझे दो बार सरकार में यह तय करने का अधिकार मिला कि मुझे कौन-सा विभाग चाहिए, तो मैंने दोनों बार पुलिस मंत्रालय ही पसंद किया और पुलिस को अनेक प्रकार की शक्तियाँ दीं। कल भी मैंने देखा कि किस तरह एक बेशर्मा लड़की एक पुलिस लड़की से कितनी बेशर्मी से उलझ रही थी कि यह देखकर वास्तव में हमारा सिर झुक जाता है। इसलिए मैं यह बात साफ करना चाहता हूँ कि अन्य विभागों की अपेक्षा, न्यायपालिका की तुलना में तथा राजनेताओं के स्थान पर पुलिस वालों का अधिक सम्मान होना चाहिए।

### 15 भारतीय राजनीति में चार गुटों के उभरने की संभावना

पिछले एक वर्ष से पूरी दुनिया के राजनीतिक समीकरणों में कुछ बदलाव दिखे। इसके पहले दुनिया में लोकतांत्रिक देशों का एक नाटो बना हुआ था और एकदम दूसरा गुट साम्यवादी देशों का था। लेकिन पिछले 1 वर्ष में ट्रंप ने सारे समीकरण उलट-पलट दिए हैं। अब कौन कब किसके साथ जा रहा है और रहेगा, यह निश्चित रूप से बताना बहुत कठिन है। हो सकता है, भविष्य में कुछ समीकरण बदलें। भारत में भी इसके पहले दो गुट दिख रहे थे। एक था नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का एनडीए और दूसरा था विपक्ष का यूपीए। लेकिन पिछले सात-आठ महीनों से सारे समीकरण बदल रहे हैं। अब भारतीय राजनीति में चार गुट साफ-साफ बन रहे हैं। विपक्ष में दो गुट बन रहे हैं। एक राहुल गांधी के नेतृत्व में और दूसरा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में। बाकी विपक्ष के लोग अभी ढुलमुल हैं। कौन किसके साथ जाएगा, यह पता नहीं है। लेकिन सत्तारूढ़ दल में भी दो गुट बन गए हैं। एक है नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के नेतृत्व में नरमपंथी हिंदुत्व का, जो गांधी मार्ग पर चल रहा है। दूसरा है सावरकरवादियों का, जो गांधी मार्ग के विरोध में यूजीसी को आधार बनाकर सक्रिय हो रहा है। यह गुट भी धीरे-धीरे स्वतंत्र शक्ति के लिए छटपटा रहा है। यदि सत्तारूढ़ दल को विपक्ष ने बहुत मजबूत चुनौती दी, तो सत्तारूढ़ दल का यह सावरकरवादियों का गुट सरकार के साथ हो जाएगा। और यदि सत्तारूढ़ दल को विपक्ष ने कमजोर चुनौती दी, तो सावरकरवादियों का यह दल मजबूत होने की कोशिश करेगा। कौन किसके साथ जाएगा, अभी यह बात साफ नहीं है, लेकिन भारत की राजनीति चार गुटों में बँट रही है, यह बात साफ हो गई है। वर्तमान परिस्थितियों में हम तो वॉच एंड वेट की स्थिति में हैं। हम नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के नरम हिंदुत्व के साथ खड़े हैं। साथ ही, विश्व राजनीति में हम लोकतांत्रिक देशों के पक्ष में रहते हैं। हम इजराइल और ब्रिटेन के पक्ष में हैं।

### 16 सावरकरवाद और संघ की विचारधारा में ऐतिहासिक मतभेद

सावरकरवादी आमतौर पर उग्र होते हैं और इनमें से कभी-कभी कुछ लोग आतंकवाद की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन सावरकरवादी कट्टर मुसलमानों की तरह ही दृढ़ होते हैं। जिस तरह मुसलमान कभी हार नहीं मानते, उसी तरह सावरकरवादी भी हार मानते ही नहीं हैं। यह सावरकरवाद और संघ का विवाद बहुत पुराना है। सावरकर और हेडगेवार के बीच नीतियों पर बहुत फर्क था। दोनों का लक्ष्य एक था, लेकिन कार्यप्रणाली अलग-अलग थी। हेडगेवार जी हिंदुओं को मजबूत करना चाहते थे, जबकि सावरकर मुसलमानों को कमजोर करना चाहते थे। हेडगेवार हिंदुओं को एकजुट करना चाहते थे और सावरकर मुसलमानों से टकराव चाहते थे। हेडगेवार हिंसा के समर्थक नहीं थे और सावरकर सबसे ज्यादा हिंसा के पक्षधर थे। हेडगेवार मीडिया से दूरी बनाकर रखते थे और सावरकर मीडिया में हमेशा सक्रिय रहते थे। भारत की जनता ने धीरे-धीरे हेडगेवार जी को पसंद किया और सावरकर के लोग संघ में शामिल होते चले गए। लेकिन यह बात भी सही है कि सावरकरवादी कट्टर होते हैं और उन्होंने हेडगेवार जी के बाद धीरे-धीरे संघ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। यही कारण है कि गांधी हत्या का संघ ने कभी समर्थन नहीं किया और सावरकर ने हमेशा समर्थन किया। लेकिन गांधी हत्या का दोष आज तक संघ पर डाला गया, क्योंकि संघ पर सावरकरवादियों का बहुत अधिक प्रभाव हो गया था। सावरकरवादियों ने ही अटल बिहारी वाजपेयी को भी चलता किया और वर्तमान समय में यह बात साफ दिख रही है कि सोशल मीडिया पर सावरकरवादियों का एकछत्र प्रभाव है। जब से नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत दुनिया को नरम हिंदुत्व का संदेश दे रहे हैं और प्रवीण तोगड़िया से दूरी बनाई गई है, तब से सावरकरवादी लगातार छटपटा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। अब यूजीसी और आरक्षण के नाम पर इन लोगों ने अलग रास्ता बनाने का फैसला किया है, लेकिन मुझे आज भी यह विश्वास है कि भारत का हिंदू नरम हिंदुत्व को पसंद करेगा, आतंकवाद को नहीं, उग्रवाद को नहीं। हम इस्लामी मार्ग से हिंदुत्व को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं, बल्कि हम संवैधानिक तरीके से इस्लाम को मजबूर कर देंगे कि वह हिंदुत्व के मार्ग पर अपने इस्लाम को ले जाए। हम सोशल मीडिया और अन्य मीडिया के सहारे जिंदा रहने वाले लोग नहीं हैं। यह सोशल मीडिया और मीडिया सावरकरवादियों को ही मुबारक रहे। वर्तमान समय में संघ बिल्कुल ठीक दिशा में चल रहा है और उसे सावरकरवादियों से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। घूम-फिरकर वे इस तरह संघ के साथ जुड़ेंगे, जिस तरह स्वतंत्रता से पहले धीरे-धीरे संघ के साथ जुड़ गए थे। न तो दुनिया में आतंकवाद और उग्रवाद

का कोई भविष्य है और न ही भारत में रहेगा।

## 17 मीडिया का बदलता रुख और नरेंद्र मोदी सरकार

वर्तमान भारत में मीडिया पूरी तरह नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के खिलाफ हो गया है। सोशल मीडिया में तो पहले सावरकरवादी सरकार का खुला समर्थन करते थे। उनके विरोध के बाद सोशल मीडिया तो लगभग सरकार के खिलाफ है ही, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी वर्तमान समय में बहुत तेजी से राहुल गांधी को हाईलाइट कर रहा है। इसका कारण एक तो यह समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी ने मीडिया को लगभग महत्त्व देना बंद कर दिया है। इसलिए प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खिलाफ हैं। सोशल मीडिया का तो समझ में आ ही रहा है, लेकिन एक बात और है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का महत्त्व समाज में घटता जा रहा है। अब उनका कोई प्रभाव समाज पर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि अब बाकी मीडिया का महत्त्व ही नहीं है। आप जरा गंभीरता से सोचिए कि मीडिया का स्तर कितना गिरा है कि उत्तर प्रदेश में एक छोटी-सी घटना होती है, जिसमें एक व्यक्ति अपने स्कूल के 34 बच्चों को नमक की जगह कास्टिक भूल से दे देता है और उसमें उसके बच्चे बीमार हो जाते हैं। बहुत साधारण भूल है, लेकिन बीबीसी से लेकर सारे मीडिया ने आसमान सिर पर उठा लिया, जैसे बहुत गंभीर घटना हो गई हो। इसी तरह अभी प्रेमानंद महाराज के यहाँ एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। आप देख लीजिए कि सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिनभर उस खबर पर कुछ-न-कुछ चलाता रहता है, क्योंकि मीडिया के पास भी आर्थिक संकट है और उसे कहीं-न-कहीं जुगाड़ करना पड़ता है। अब लगता है कि सरकार मीडिया को महत्त्व नहीं दे रही है। दूसरी बात यह भी है कि मीडिया के पास खबरों का भी अकाल होता जा रहा है। यह भी एक कारण है। इसलिए मैं यह महसूस करता हूँ कि मीडिया का पहले बहुत प्रभाव था, लेकिन वर्तमान में उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तो काम का ही दिखेगा, मीडिया का नहीं। फिर भी वर्तमान मीडिया ने एक वातावरण तो बनाया ही है। अगले चार महीने बाद जो चुनाव होने वाले हैं, उनसे मीडिया की ताकत स्पष्ट हो जाएगी।

## 18 लोक स्वराज और व्यवस्था परिवर्तन

हम अंतिम रूप से इस नतीजे तक पहुँच चुके हैं कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव आवश्यक है। वैसे तो हम पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्थाओं में भी आंशिक सुधार की बात सोच रहे हैं, लेकिन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन से जुड़ी है। यही कारण

है कि हम लोक स्वराज को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। लोक स्वराज्य वह व्यवस्था है, जिसमें यह निश्चित नहीं है कि परिवार अधिक महत्त्वपूर्ण है अथवा समाज। उसमें यह निश्चित नहीं है कि नदी के दो किनारों में कौन अधिक महत्त्वपूर्ण है। उसमें यह निश्चित नहीं है कि मकान की नींव का अधिक महत्त्व है या छत का। हम यह मानते हैं कि दोनों को अपना-अपना महत्त्व समझना चाहिए और दोनों को एक साथ जुड़कर कार्य करना चाहिए, यद्यपि दोनों का अपना-अपना अस्तित्व भी है। इसी को हम स्वतंत्रता और सहजीवन का तालमेल कहते हैं। वर्तमान समय में समाज का स्थान राज्य ने ले लिया है और राज्य ने सारी की सारी परिवार व्यवस्था को गुलाम बना लिया है। अब हम स्वतंत्र परिवार व्यवस्था चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि छत पर जाने के लिए जिस सीढ़ी की आवश्यकता होती है, उस सीढ़ी की पहली इकाई परिवार है। यदि परिवार ही कमजोर होगा, परिवार ही गुलाम होगा, तब छत पर पहुँचना ही असंभव है। हम लगातार यह प्रयत्न कर रहे हैं कि लोक स्वराज के माध्यम से परिवार व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिले। राज्य परिवार व्यवस्था में किसी प्रकार का मनमाना कानून न बना सके और न हस्तक्षेप कर सके। राज्य की यह मजबूरी हो कि वह संविधान संशोधन के माध्यम से ही परिवार व्यवस्था में दखल दे सके और संविधान भी तंत्र के एकाधिकार से मुक्त होना चाहिए। संविधान सभा एक स्वतंत्र इकाई होनी चाहिए। यही है लोक स्वराज्य।

## 19 सरकारी स्कूलों की गिरती लोकप्रियता

मैंने छत्तीसगढ़ के कई स्कूलों का अध्ययन किया। लगभग सब जगह स्कूल लगातार प्रगति कर रहे हैं। स्कूलों की संख्या भी बढ़ रही है, स्कूलों में बच्चे भी बढ़ रहे हैं, स्कूलों का स्तर भी सुधर रहा है। स्कूलों में सुविधाएँ भी ठीक हो रही हैं। मेरे परिवार में कुल 50 सदस्य हैं। जितने भी बच्चे हैं, सब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों का मतलब है कि वे तुलनात्मक रूप से मजदूर बना सकते हैं। विशेषता वहाँ प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए सरकारी स्कूलों में कमजोर बच्चे ही पढ़ते हैं। धीरे-धीरे सरकारी स्कूल बंद भी हो रहे हैं। मैंने अपने ही जिले के एक बरनबंदा स्कूल का पता किया। वहाँ पाँच कक्षाएँ लगती हैं और पाँचों कक्षाओं को मिलाकर कुल चार विद्यार्थी हैं। दो शिक्षक हैं। कोई सरकारी स्कूल में पढ़ना ही नहीं चाहता, कोई सरकारी कर्मचारी भी नहीं पढ़ाता। जो लोग सक्षम हैं, वे सब प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। फिर भी आश्चर्य है कि भ्रष्ट लोग इन स्कूलों का भवन बनाने के लिए चिल्लाते हैं। वे इन स्कूलों में सुविधाएँ देने की बात करते हैं, जबकि इस प्रकार के स्कूल तुरंत बंद कर देने लायक हैं। सरकार का काम स्कूल चलाना नहीं है, सरकार का काम अस्पताल चलाना नहीं है। सरकार का काम आतंकवाद

रोकना है, मिलावट रोकना है, गुंडागर्दी रोकना है। ये भ्रष्ट लोग चाहते हैं कि वहाँ एक स्कूल बने, स्कूल का ठेका उन्हें मिले, स्कूल में उनका कोई रिश्तेदार मास्टर बन जाए, मुफ्त का खाता रहे और उस स्कूल से नेताजी को भी कुछ हिस्सा मिलता रहे। इस तरह के भ्रष्ट लोग ऐसे स्कूलों का बजट बढ़ाने के लिए दिन-रात चिल्लाते रहते हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि सरकार इस प्रकार के स्कूलों को बंद कर दे। जब प्राइवेट स्कूल अच्छी तरह सुविधाएँ दे रहे हैं, तो सरकार को भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों को क्यों आगे लाना चाहिए? मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि भ्रष्ट लोगों के निवेदन पर जनता पर टैक्स मत बढ़ाइए, शिक्षा का बजट मत बढ़ाइए। ऐसे-ऐसे बेकार स्कूल तत्काल बंद कर दीजिए।

## 20 विशेष अधिकार और भय का वातावरण

एक जमाना था, जब मैं अपने शहर में किसी से नहीं डरता था। हमारे शहर में जो भी व्यक्ति गलत करता था, उसे मैं खुलकर बोलता था और वह गलती स्वीकार करता था। मैं अपराधियों के खिलाफ खुलकर थाने और कोर्ट में गवाही भी देता था। मुझे यह भी याद है कि अपराधी हमेशा मुझसे डरते थे। लेकिन अब एक ऐसा समय आया है कि मैं जिस शहर में हूँ, उस शहर में मैं किसी अपराधी से पूरी तरह डरता हूँ। मेरी यह हिम्मत नहीं है कि कोई अपराधी चंदा माँगने आ जाए और मैं उसे इनकार कर दूँ। मैं किसी भी शरीफ आदमी को कभी भी चंदा देने से इनकार कर देता हूँ, लेकिन किसी गुंडे, अपराधी या विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति को हाथ जोड़कर सम्मानपूर्वक चंदा देने के लिए तैयार रहता हूँ। किसी अपराधी के खिलाफ गवाही देने का तो प्रश्न ही नहीं है। मैं तो थाने में रिपोर्ट करने से भी डरता हूँ। मैं डरता हूँ हर उस महिला से, जिसके पास मुझे अपमानित करने और जेल भेजने का विशेष अधिकार प्राप्त है। मैं डरता हूँ उस पत्रकार से, जो कभी भी मुझे ब्लैकमेल कर सकता है। मैं डरता हूँ उस आदिवासी से, जो कभी भी झूठ बोलकर मुझे अपमानित कर सकता है। मैं डरता हूँ उस दलित से, जिसे किसी को भी अपमानित करने और जेल भेजने का विशेष अधिकार प्राप्त है। मैं हर उस आदमी से डरता हूँ, जिसे न्यायालय और कानून विशेष अधिकार देता है। लेकिन इन सबके होते हुए भी मैं अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं डरता, मैं भारत के प्रधानमंत्री से नहीं डरता, मैं किसी अच्छे विद्वान से भी नहीं डरता, मैं किसी धर्मगुरु से नहीं डरता, किसी शंकराचार्य से नहीं डरता। मुझे इस प्रकार के लोगों से कोई डर नहीं है। बदला हुआ जमाना देखकर मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि समय कितना बदल गया है। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि जमाना ऐसा कैसे बदल गया, इसका समाधान क्या होगा और इसका समाधान कौन करेगा।

## 21 ईवीएम विरोध और राजनीतिक साख

मैं लंबे समय से यह बात लिखता रहा हूँ कि भारत में जो भी व्यक्ति ईवीएम का विरोध करके मतपत्रों से चुनाव चाहता है, वह या तो राजनीतिक रूप से जानबूझकर झूठ बोलता है अथवा वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और चुनाव में लूटमार करना चाहता है। एक भी व्यक्ति भारत में ऐसा नहीं है, जो मतपत्रों से चुनाव चाहता हो, लेकिन वह जानबूझकर झूठ न बोल रहा हो अथवा वह आपराधिक प्रवृत्ति का न हो। अभी आपने देखा होगा कि त्रिपुरा में चुनाव हुए, मतपत्रों से ही हुए और वहाँ 90% सीटें सत्तारूढ़ दल ले गया। स्पष्ट है कि इसमें कहीं-न-कहीं सरकार का भी कोई दबाव हो सकता है। यदि बंगाल में भी चुनाव ईवीएम से नहीं हों और मतपत्रों से हों, तो 99% वोट सरकार ले जाएगी। आज ही आपने देखा कि ईवीएम से चुनाव होने के बाद भी बंगाल में 75 प्रतिशत वोट बीजेपी को मिल गए और 25% में ममता और कांग्रेस दोनों सिमट गए। यहाँ तक कि मुस्लिम बहुल सीटों में भी मुसलमानों का वोट सत्तारूढ़ दल को मिला। हो सकता है कि मुसलमानों का कुछ विश्वास बढ़ा हो, यह भी हो सकता है कि वे डर गए हों, यह भी हो सकता है कि बूथ कब्जा हुआ हो। लेकिन यह चुनाव यदि मतपत्रों से होता, तो आरोप-प्रत्यारोप का दरवाजा खुल जाता। मेरा ऐसा मानना है कि तकनीक मनुष्य की तुलना में अधिक विश्वसनीय होती है। आप तकनीक पर जल्दी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि तकनीक का भ्रष्टाचार तकनीक से पकड़ा जा सकता है। मनुष्य का भ्रष्टाचार बिना तकनीक के नहीं पकड़ा जा सकता। इसलिए तकनीक के खिलाफ आवाज उठाना पूरी तरह गलत है। आपसे निवेदन है कि आप चाहे और जो भी आरोप लगाइए, लेकिन ईवीएम का विरोध करने की मूर्खता मत करिए, क्योंकि आपकी विश्वसनीयता संकट में पड़ जाती है।

## 22 मुस्लिम मतदाताओं का बदलता रुख

बंगाल और असम की कुछ सीटों पर हुए उपचुनाव भारतीय राजनीति को एक नया संदेश देते हैं। ये मुस्लिम बहुल सीटें थीं। अधिकांश मुसलमानों ने बड़ी संख्या में भाजपा के खिलाफ वोट दिया था। असम की लोकसभा सीट भी बीजेपी के पास नहीं थी। बंगाल की एक विधानसभा सीट भी सांप्रदायिक मुसलमान ने बाबरी मस्जिद के नाम पर भारी बहुमत से जीत ली थी। वर्तमान मुख्यमंत्री की सीट भी बहुत कम वोटों से जीती गई थी। इस तरह ये तीनों उपचुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गए थे। पहले से संभावना दिख रही थी कि तीनों ही जगह पर जीत तो भाजपा की ही होगी, क्योंकि सरकार भाजपा की ही है, लेकिन इतना भारी बहुमत होगा और एकतरफा मतदान हो जाएगा, यह विश्वास नहीं था। ऐसा लगता था कि

मुसलमान वोट देने जाएंगे ही नहीं, लेकिन मुसलमानों ने चुनाव में बढ़-चढ़कर भाग लिया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खुलकर मतदान किया। यह मतदान उन लोगों के गाल पर खुला तमाचा है, जो यह कहते थे कि मुसलमान कभी बीजेपी को वोट देता ही नहीं है। जो मुसलमानों को अपनी जागीर समझते थे, वे अब अगल-बगल देखने को मजबूर हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का तो बंगाल में और भी बुरा हाल हुआ है। साथ ही, उन कट्टरवादी हिंदुओं का भी मुंह बंद हो गया है, जो कहते थे कि एक भी मुसलमान भारत का वफादार नहीं है। ऐसे कट्टरवादी हिंदू भी अब अगल-बगल देख रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि यह बदलाव कैसे हुआ। मैं अब भी समझता हूँ कि औसत मुसलमान का दिल नहीं बदला है, परिस्थितियाँ बदल गई हैं। मुसलमान जब अपने पीछे किसी ताकत को देखता है, तो बहुत जल्दी आक्रामक हो जाता है और जब वह अपने पीछे कोई ताकत नहीं देखता, तो दुगुनी तेजी से पीछे भाग जाता है। कम्युनिस्ट हमेशा मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखकर सुरक्षा के लिए तैयार रहते थे। हर मुसलमान बीजेपी के खिलाफ खुलकर उछलते-कूदते रहते थे। वे सुरक्षाकर्मी गायब हो गए हैं, इसलिए मुसलमानों ने भी उछलना-कूदना बंद कर दिया है। मैंने खुद देखा है कि जब राजा लोग शेर का शिकार करते थे, तो किसी मनुष्य को सामने रख लेते थे और वह व्यक्ति उछलता-कूदता था, क्योंकि पीठ पर राजा सुरक्षा देता था। अगर पीठ पीछे राजा न रहे, तो वह व्यक्ति भाग जाता था। वही हाल भारतीय मुसलमानों का है। अब भारत का मुसलमान धीरे-धीरे अपने संस्कारों में भी बदलाव करेगा और मुझे ऐसा विश्वास है कि हिंदू-मुसलमान की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मुसलमानों की पीठ पर सुरक्षा करने वाले कम्युनिस्ट और नेहरू परिवार गायब होते जा रहे हैं। बंगाल और असम के चुनाव देश के मुसलमानों को एक साफ संदेश दे रहे हैं।

## 23 अराजकता और तानाशाही के बीच लोकतंत्र

इस विषय पर लगातार चर्चा होती रही कि क्या अराजकता और तानाशाही के बीच हमें एक रास्ता चुनना पड़ेगा। एक तरफ सत्तापक्ष वर्तमान वातावरण को अराजकता बढ़ाने का प्रयास बता रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष तानाशाही की संभावना व्यक्त कर रहा है। आम नागरिक यह समझ नहीं पा रहा है कि वास्तव में इस समस्या का समाधान क्या है। मैं भी इस समय गंभीरता से सोच रहा हूँ। मेरा अपना विचार यह है कि यदि अराजकता लंबे समय तक बनी रहती है, तो लोग तानाशाही को पसंद करना शुरू कर देते हैं। यद्यपि तानाशाही अराजकता की तुलना में बुरी होती है, लेकिन तानाशाही स्वाभाविक रूप से आ ही जाती है। इस परिस्थिति में हमारे सामने क्या विकल्प हो सकते हैं, यह विचारणीय सवाल है। हम लंबे

समय तक अराजकता में रह नहीं सकते और अराजकता का अच्छा समाधान तानाशाही नहीं है। जिस तरह का लोकतंत्र दुनिया में और विशेषकर भारत में दिख रहा है, उसमें तानाशाही का आना निश्चित है। मनमोहन सिंह ने आदर्श लोकतंत्र प्रस्तुत किया था और परिणाम हुआ था अराजकता। नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ में आंशिक बदलाव किया और परिणाम हुआ सुव्यवस्था। लेकिन अब धीरे-धीरे 10 वर्षों के बाद नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक बनते जा रहे हैं और परिणाम हो रहा है अराजकता। यह नरेंद्र मोदी की मजबूरी है या परिस्थितियों का परिणाम, यह एक अलग विषय है। यह भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी सोच-समझकर कुछ कर रहे हों, लेकिन यह संभावना बलवती होती जा रही है कि यदि इसी तरह अराजकता बढ़ती रही, तो तानाशाही का आना निश्चित है। इसलिए यदि हम तानाशाही से बचना चाहते हैं, तो हमें अराजकता पर कठोरता से रोक लगानी ही होगी। लोकतंत्र का परिणाम अराजकता होना उचित नहीं है। इसलिए मैं वर्तमान लोकतांत्रिक अराजकता में बदलाव की माँग करता हूँ। मैं सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि सरकार इस संबंध में गंभीरता से समाधान खोजे। यदि जंतर-मंतर का समाधान बिना गोलियों के संभव न हो, तो हम अराजकता की तुलना में गोलीबारी को अधिक पसंद करेंगे।

## 24 लोक स्वराज और संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन

11/10/26 को हमारे तीन दिवसीय लोक स्वराज अभियान संदेश कार्यक्रम का समापन दिवस था। देश भर के कुछ चुने हुए स्थानों पर इस कार्यक्रम का सांकेतिक आयोजन हुआ। कल माँ संस्थान लोक स्वराज नगर, रामानुजगंज से समापन कार्यक्रम के रूप में संविधान सभा की एक बैठक हुई। इसमें देश भर के करीब 35 लोगों ने भाग लिया, जिसमें मैं भी शामिल था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमें भारत की वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था पर पूरी तरह अविश्वास हो गया है। हम इस व्यवस्था को असफल मानते हैं, इसलिए हम सत्ता परिवर्तन नहीं, अब व्यवस्था परिवर्तन की माँग कर रहे हैं। हम वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की जगह लोक स्वराज व्यवस्था को अधिक महत्त्व दे रहे हैं, जिसका अर्थ है सहभागी लोकतंत्र। यह आवाज गांधी विचारों से प्रेरित होकर जयप्रकाश नारायण ने 70 वर्ष पहले उठाई थी। हम उस सहभागी लोकतंत्र के विचार को संशोधित रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। लोक स्वराज की सिर्फ एक ही पहचान होती है कि प्रत्येक इकाई को अपना इकाइगत संविधान बनाने और क्रियान्वित करने की असीम स्वतंत्रता हो। यही है लोक स्वराज और यदि यह स्वतंत्रता नहीं है, तो वह गुलामी है। हम वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में ऐसी स्वतंत्रता नहीं देखते, इसलिए हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं।

हम चाहते हैं कि संविधान संशोधन में तंत्र की असीम भूमिका न होकर सीमित भूमिका होनी चाहिए, अर्थात् संविधान संशोधन में तंत्र के अतिरिक्त भी लोक द्वारा निर्मित किसी इकाई का समान हस्तक्षेप होना चाहिए। यही कारण है कि हम लोक स्वराज व्यवस्था के अंतर्गत तंत्र-मुक्त संविधान की माँग कर रहे हैं। हमें तुमसे कुछ भी न चाहिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि तंत्र हमें अनेक प्रकार की सुविधाएँ देकर हमारी सारी स्वतंत्रता छीन ले। इस तरह हम यह साफ कर देना चाहते हैं कि हम तंत्र-मुक्त संविधान के अतिरिक्त और किसी भी सुशासन के लालच में नहीं पड़ने वाले हैं। यह चर्चा आज दिन भर आगे भी जारी रहेगी।

लोक स्वराज और व्यवस्था परिवर्तन पर चर्चा कर रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन का अर्थ संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन तक सीमित है। धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक या अन्य व्यवस्थाओं में हम परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि संशोधन की बात कर रहे हैं। अर्थ स्पष्ट है कि हम भारत के संविधान को असफल मान रहे हैं। यहाँ तक कि हमारा मानना है कि संविधान ने समस्याओं का समाधान कम और समस्याओं का विस्तार अधिक किया है। इसलिए हम वर्तमान संविधान में संवैधानिक तरीके से मौलिक बदलाव का सुझाव दे रहे हैं। यही हमारा लोक स्वराज होगा। लेकिन एक तरफ हम संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में सुधार पर भी लगातार सोच रहे हैं। हम दोनों दिशाओं में काम कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का विचार सिर्फ संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन तक सीमित है। हम वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था को इस बात के लिए सहमत करेंगे अथवा बाध्य करेंगे कि वह संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन की हमारी बात मान ले। हमें विश्वास है कि वर्तमान सरकार इस दिशा में अधिक अनुकूल है। इसीलिए हम अपनी सारी शक्ति एक छाया संविधान सभा को सक्रिय करने में लगा रहे हैं। यह छाया संविधान सभा लोक स्वराज की दिशा में निरंतर जन-जागरण करती रहेगी और हम जन-जागरण के माध्यम से वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था पर दबाव बनाते रहेंगे कि वह लोक स्वराज की हमारी माँग स्वीकार कर ले।

लोक स्वराज पर चर्चा कर रहे हैं। लोक स्वराज प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति की दो भूमिकाएँ अलग-अलग होती हैं। वह व्यक्ति भी होता है और नागरिक भी होता है। व्यक्ति के रूप में उसकी असीम स्वतंत्रता होती है और नागरिक के रूप में उसकी सारी स्वतंत्रता संयुक्त हो जाती है। व्यक्ति के रूप में उसके अधिकार होते हैं और नागरिक के रूप में उसके दायित्व होते हैं। व्यक्ति के रूप में वह अपना संविधान बना सकता है और नागरिक के रूप में उसे संयुक्त संविधान ही बनाना होगा। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति कम से कम दो संविधान बनाता है और वह जो संविधान

बनाता है, उसका पालन करना उसके लिए अनिवार्य होता है। वर्तमान समय में व्यक्ति और नागरिक, इन दोनों के बीच का अंतर करना लोग भूल गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति की यह मजबूरी होती है कि उसे अपनी ही बनाई गई व्यवस्था का पालन करना पड़ता है, अन्यथा वह दंड का भागी भी होता है। हम भारत के प्रत्येक व्यक्ति को यह प्रशिक्षण देंगे कि नागरिक के रूप में उसके दायित्व क्या हैं। साथ ही, हम व्यवस्था को भी यह प्रशिक्षण देंगे कि व्यक्ति की असीम स्वतंत्रता का महत्त्व क्या है। हम यह भी बताएँगे कि कोई भी नागरिक किसी भी परिस्थिति में अकेला रह ही नहीं सकता। उसे नागरिक बनना अनिवार्य होता है और जन्म से ही उसकी नागरिकता मान ली जाती है। इस तरह स्वतंत्रता और सहजीवन के तालमेल को समझना ही लोक स्वराज है।

## 25 समस्या से समाधान तक सक्रियता

हम लोगों ने 12/10/26 को दिनभर लोक स्वराज की अवधारणा पर चर्चा की थी। मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि हम कोई धार्मिक संस्थान नहीं हैं, हम सामाजिक संस्था हैं। स्पष्ट है कि हम केवल उपदेश और प्रवचन नहीं देते, बल्कि हम व्यवस्था भी बनाते हैं। यही कारण है कि हम सिर्फ वर्तमान समस्याओं की चर्चा ही नहीं करते, उनका समाधान भी खोजते हैं, उनका समाधान भी बताते हैं और साथ में उन समाधानों पर सक्रियता भी दिखाते हैं। यही कारण है कि हम लोगों की संस्था दो गुप्तों में काम करती है। एक तरफ हम विचार-मंथन करते हैं। विचार-मंथन के माध्यम से हम सभी समस्याओं के समाधान पर बैठकर स्वतंत्र चर्चा करते हैं। दूसरी तरफ, हमारे संस्थान का एक दूसरा गुप्त देशभर में घूम-घूमकर संस्थागत ढाँचा भी तैयार करता है। प्रतिदिन की चर्चा का संचालन बुजेश राय जी ऋषिकेश से करते हैं, तो हमारे संस्थागत ढाँचे का संचालन मोहन बाबू रामानुजगंज से करते हैं। हमारी संविधान सभा का संचालन ज्ञानेंद्र आर्य जी करते हैं, तो ज्ञान केंद्रों के विस्तार की सारी योजना में संजय तिवारी जी सक्रिय रहते हैं। विचार-मंथन में प्रतिदिन लगभग 20 लोग जुड़ते हैं। संविधान सभा में भी, जो हर तीन महीने में होती है, 30-35 लोग जुड़ जाते हैं। ज्ञान केंद्रों की संख्या भी देशभर में करीब ढाई सौ के आसपास पहुँच गई है। इस तरह एक संस्थान के रूप में हम निरंतर दोनों दिशाओं में सक्रिय हैं। एक तरफ हम संविधान सभा के माध्यम से संविधान संशोधन की प्रक्रिया तैयार कर रहे हैं, दूसरी तरफ देशभर में संविधान संशोधन की भूख भी पैदा कर रहे हैं। तीसरी तरफ, हम परिवार व्यवस्था पर भी लगातार चिंतन-मंथन कर रहे हैं। चौथी तरफ, हम सभी समस्याओं के समाधान का मार्ग भी खोज रहे हैं। इस तरह हम एक संस्था के रूप में निरंतर सक्रिय हैं, क्योंकि हम सिर्फ प्रश्नकर्ता नहीं हैं, बल्कि अपने आपको उत्तरदाता की जिम्मेदारी भी स्वीकार करने वाला मानते हैं।

## एक ऐसा चर्चा कार्यक्रम, जिसने मेरे जीवन को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई - ज्ञानेंद्र आर्य

आज आप लोगों से एक बहुत महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूँ। यह मेरे जीवन का ऐसा अनुभव है, जिसने मेरे सोचने, समझने, विश्लेषण करने और अपनी बात रखने के तरीके में आमूलचूल परिवर्तन करने में बड़ी भूमिका निभाई है। पिछले पांच वर्षों से मैं प्रतिदिन रात 7:30 बजे मां संस्थान द्वारा संचालित चर्चा कार्यक्रम में अपने घर पर रहते हुए मोबाइल के माध्यम से नियमित रूप से शामिल हो रहा हूँ। रात 7:30 से 9:00 बजे तक चलने वाला यह डेढ़ घंटे का कार्यक्रम मेरे लिए केवल चर्चा का माध्यम नहीं, बल्कि निरंतर सीखने, विचार करने और स्वयं को विकसित करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया बन गया है। पिछले पांच वर्षों में इस कार्यक्रम से बहुत सारे लोग जुड़े। कुछ लोग लंबे समय तक जुड़े रहे, तो कुछ अपनी प्राथमिकताओं और व्यस्तताओं के कारण बीच में छूट गए। एक समय ऐसा भी था, जब नियमित रूप से जुड़ने वाले लोगों की संख्या केवल सात-आठ रह गई थी। आज प्रसन्नता की बात है कि लगभग 20 से 22 लोग नियमित रूप से इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं।

### इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि लोगों की वैचारिक क्षमता का विकास है।

मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इस चर्चा में एक वर्ष या उससे अधिक समय तक नियमित रूप से शामिल होने वाले अनेक साथियों की बोलने, विषयों का विश्लेषण करने, अपनी बात को तार्किक ढंग से प्रस्तुत करने और दूसरों के विचारों को समझने की क्षमता में उल्लेखनीय विकास हुआ है। ऐसे अनेक साथियों के नाम मैं बता सकता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम से जुड़कर स्वयं को एक बेहतर वक्ता, विश्लेषक और प्रस्तोता के रूप में विकसित किया है। यह परिवर्तन किसी एक दिन के प्रशिक्षण से नहीं, बल्कि निरंतर विचार-मंथन, प्रश्न करने, सुनने और तर्क के आधार पर अपनी बात रखने के अभ्यास से आया है।

### इस चर्चा कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण है बजरंग मुनि जी की प्रत्यक्ष उपस्थिति।

पूरे डेढ़ घंटे हम लोग मानसिक व्यायाम करते हैं। विभिन्न समसामयिक, सामाजिक, राजनीतिक, संवैधानिक और वैचारिक विषयों पर चर्चा होती है। विषयों को केवल सुनकर स्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि उनके पीछे के तर्क, तथ्यों, मान्यताओं और परिणामों को समझने का प्रयास किया जाता है। इन चर्चाओं के आधार पर बजरंग मुनि जी प्रतिदिन लगभग तीन पोस्ट भी लिखते हैं। ये पोस्ट उनके व्यक्तिगत फेसबुक अकाउंट 'विचारक बजरंग मुनि' और 'Bajrang Lal Agrawal' पर प्रकाशित होती हैं। साथ ही, इन्हें Gyantatva.in के फेसबुक पेज पर भी प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार चर्चा में होने वाला

विचार-मंथन व्यापक समाज तक पहुंचने वाली वैचारिक सामग्री का आधार भी बनता है।

### बजरंग मुनि जी से मैंने सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सीखी?

अधिकांश लोग बजरंग मुनि जी के बारे में जानते हैं। फिर भी, जो लोग उन्हें नहीं जानते, उनके लिए बताना चाहूंगा कि 87 वर्षीय बजरंग मुनि जी ने अपने जीवन का अधिकांश सक्रिय समय विचार-मंथन को समर्पित किया है। वे 'समाज सर्वोच्च' के सिद्धांत को मानते हैं और यथार्थ तथा आदर्श के बीच ऐसा संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जो विचार के क्षेत्र में बहुत दुर्लभ दिखाई देता है। अपने सामाजिक जीवन में सत्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और किसी भी विषय पर तार्किक ढंग से अपनी बात रखने की क्षमता मेरे लिए हमेशा सीखने का विषय रही है। मैंने उन्हें देखकर सीखा कि अपनी बात कहने के लिए सनसनी फैलाना, किसी पर अनावश्यक आक्रामक होना या बलपूर्वक अपनी मान्यता थोपना जरूरी नहीं है। यदि आपके पास तर्क है, विचारों में स्पष्टता है और तथ्यों को समझने की क्षमता है, तो आप बिना शोर मचाए भी अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रख सकते हैं। आज विचारों की दुनिया को देखें तो अधिकांश विचारक किसी न किसी वैचारिक धारा के प्रति झुके हुए दिखाई देते हैं। कोई वामपंथी दृष्टिकोण से सोचता है, तो कोई दक्षिणपंथी दृष्टिकोण से। लेकिन बजरंग मुनि जी के साथ नियमित चर्चा करने वाले लोग जानते हैं कि वे अपने 'समाज सर्वोच्च' के सिद्धांत पर अडिग रहते हुए किसी भी विचार, व्यक्ति या व्यवस्था को तर्क की कसौटी पर परखने का प्रयास करते हैं। हिंसा, बल प्रयोग, झूठ और प्रपंच के प्रबल विरोधी बजरंग मुनि जी ने अनेक ऐसे विषयों पर मौलिक परिभाषाएं विकसित की हैं, जिनकी स्पष्टता के अभाव में सामाजिक और राजनीतिक विमर्श अक्सर भ्रमित हो जाता है। अपराध, गैरकानूनी और अनैतिक आचरण के बीच अंतर हो या दायित्व और कर्तव्य का प्रश्न, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और सामाजिक अधिकार जैसे विषय हों, वे इन परिभाषाओं को तर्क के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। उनकी यही मौलिक दृष्टि उन्हें अलग पहचान देती है। उनकी विशेषता यह भी है कि वे प्रश्नों से बचने के बजाय उनका सामना करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते हैं। उनके सामने असहमति रखने, प्रश्न पूछने और किसी विषय पर अपना तर्क रखने की गुंजाइश बनी रहती है। मेरे विचार से किसी भी जीवंत वैचारिक परंपरा की यही पहचान होनी चाहिए।

### विचार-मंथन केवल विचारकों के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है।

हममें से बहुत से लोग जीवन भर अनेक विषयों पर

अपनी राय बनाते हैं, लेकिन अपनी राय के आधार को परखने, उसके पक्ष-विपक्ष को समझने और तर्क के आधार पर उसमें सुधार करने का अवसर कम ही प्राप्त कर पाते हैं। मां संस्थान का यह चर्चा कार्यक्रम मुझे यही अवसर देता रहा है। पिछले पांच वर्षों का मेरा अनुभव कहता है कि यदि व्यक्ति नियमित रूप से गंभीर चर्चा में शामिल हो, प्रश्न पूछे, दूसरों को सुने और अपनी धारणाओं को तर्क की कसौटी पर परखने के लिए तैयार रहे, तो उसकी विचार करने और अपनी बात रखने की क्षमता में निश्चित रूप से विकास हो सकता है। मेरे लिए यह कार्यक्रम केवल डेढ़ घंटे की दैनिक चर्चा नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने की एक सतत

प्रक्रिया है। मैं इस अनुभव को इसलिए साझा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि समाज में विचारशील, तार्किक और जिम्मेदार व्यक्तियों की संख्या बढ़ाना किसी भी सार्थक सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक है। यदि आप भी विचार करना, प्रश्न पूछना, विषयों का विश्लेषण करना और अपनी बात तर्क के साथ रखना सीखना चाहते हैं, तो इस तरह के विचार-मंथन का हिस्सा बनिए। क्योंकि विचारों को सुनना एक शुरुआत है, लेकिन विचारों को समझना, उन्हें तर्क की कसौटी पर परखना और स्वयं स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता विकसित करना ही वास्तविक बौद्धिक विकास है।